



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट-<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. - 0755-2462136

No: 666 / SEIAA/2025

Date: 26/05/2025

प्रति,

Shri Kesharimal Kumawat,
R/o Ward No. 17, Chhachhakhedi,
Tehsil-Jiran, District- Neemuch (M.P)
E-mail - keshrimalkumawat.ec@gmail.com

विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/456380/2024- Case No P2/65/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), for production capacity of 1000 MTPA, in an area of 3.00 ha., Khasra No. 2095, Village- Kanghatti, Tehsil- Malhargarh, Distt.- Mandsaur (MP) by Shri Kesharimal Kumawat, R/o Ward No. 17, Chhachhakhedi, Tehsil-Jiran, District- Neemuch (M.P).

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 एवं 731वीं बैठक दिनांक 19.03.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 03.06.2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 एवं 731वीं बैठक दिनांक 19.03.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। तदुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

26/05/25

(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एप्लो

एवं सदस्य सचिव, SEIAA

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
 3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
 4. अध्यक्ष, SEIAA, एप्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
 5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
 6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
 7. कलेक्टर, जिला मंदसौर (म.प्र.)।
 8. वन मंडलाधिकारी, जिला मंदसौर (म.प्र.)।
 9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
 10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
 11. खनिज अधिकारी, जिला मंदसौर (म.प्र.)।
 12. संबंधित फाईल।
- की ओर सूचनार्थ।



कार्यपालन संचालक, एप्को
एवं सदस्य सचिव, SEIAA



731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

13. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report. Detail study shall be conducted to have railway transport facility to reduce the road transport.
14. Suitable proposal for the use of Solar Power to reduce the around 30% domestic electric consumption.
15. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
16. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed with suitable proposal of the Rain Water Harvesting mechanism.
17. Top soil management plan should be addressed in EIA report.
18. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
19. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.
20. Ground water table data should be compared with data of Central Ground Water Board authorities nearest sampling point.
21. Water quality of all the villages within 10 k.m radius should be studied and result should be incorporated in final EIA report.

9. Case No P-2/65/2024 Shri Kesharimal Kumawat, R/o Ward No. 17, Chhachhakhedi, Tehsil-Jiran, District- Neemuch (M.P). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone - 1000 MTPA) (Khasra No. 2095), ग्राम कनघट्टी तसहील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ;म.प्र.) (MIN/456380/2023) - B-2

प्रस्तावित Stone खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kesharimal Kumawat online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मेसर्स ए.जी.एस. इन्वायरोमेन्टल सर्विसेस प्राइवेट लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KESHARIMAL KUMAWAT, R/o Ward No. 17, Chhachhakhedi, Tehsil-Jiran, District- Neemuch (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2095 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	ग्राम कनघट्टी तसहील Malhargarh जिला मंदसौर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 10746 दिनांक 05/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 1000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 1000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मल्हारगढ जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2022 दिनांक 18/02/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- Yes Tree Felling - No परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पेड आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- कुछ मकान है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदानों के साईट ऑफिस हैं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने गूगल ईमेज के अनुसार पाया कि खदान के बीच में से एक कच्ची रोड निकल रही है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसे निर्धारित सेटबैक छोड़ते हुये वैकिलपिक मार्ग प्रस्तावित किया है, सेटबैक छोड़ने से खनन योग्य क्षेत्र 2.0 हे. बचता है जिसे सरफेस मेप मे दर्शाया है, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूंकि प्रचलित मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है अतः सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से सहमति भू-प्रवेश के पूर्व विधिवत् प्राप्त कर ली जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-1,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.53 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान के बीच में से एक कच्ची रोड निकल रही है परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रचलित मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है अतः सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से सहमति भू-प्रवेश के पूर्व विधिवत् प्राप्त कर ली जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
5. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
6. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहाँ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन की दिशा में समय-समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी।	60,000/-
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	10,000/-
--	----------

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2250
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ ऊँचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे। नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. **Case No P-2/66/2024 Shri BABU SINGH, R/o- Juni Rambhapur, District- Jhabua (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 0.900 ha. (Stone - 3522) (Khasra No. 193), Village -Navapada, Tehsil-Meghnagar, District -Jhabua (M.P.) (MIN/453042/2023 (TOR)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri BABU SINGH online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Aseries Envirotek India Private Limited** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri BABU SINGH, R/o- Juni Rambhapur, District- Jhabua(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	193 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.900 hectare.
स्थल	Village -Navapada, Tehsil-Meghnagar, District -Jhabua,	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 935 दिनांक 13/10/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म-1 अनुसार लागू नहीं	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 31/5/2016 के द्वारा पत्थर-3522 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 3522 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन 3522 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 5.73 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/10/23 । आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं आवेदित क्षेत्र से नाला लगभग 55 मीटर पर, ग्रामीण मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गडवाडा जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 23/5/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है ।	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint study with mitigation plan.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एक्ज में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राइजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. **Case No P-2/67/2024 Shri PRATEEK MITTAL, 42 Globus City, Chuna Bhatti , Kolar Road , Bhopal. M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.765 ha. (Stone - 100001.6 Cubic meter per year) (Khasra No. 130 /105), at Gram – Bamaladad, Teshil – Ichhawar, Distt. Sehore (MIN/459024/2024) TOR**

प्रस्तावित Stone खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri PRATEEK MITTAL online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी **AGS Environmental Services Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PRATEEK MITTAL, 42 Globus City, Chuna Bhatti , Kolar Road , Bhopal
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	130 / 105 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.765 hectare.
स्थल	Gram – Bamaladad, Teshil – Ichhawar, Distt. Sehore
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 13238 दिनांक 05/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 100001.6 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 100001.75 Cubic meter per year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6246 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.915 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6246 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6246 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बलोडिया जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 16/4/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	चूकि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ डीएसआर रिपोर्ट जिसमें इस खदान का उल्लेख प्रस्तुत करें ।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियो ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबैक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
13. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
14. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ डीएसआर रिपोर्ट जिसमें इस खदान का उल्लेख प्रस्तुत करें।
16. Carbon footprint study with mitigation plan.

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

12. **Case No P-2/68/2024 Shri Ram singh Rasoniya S/o Shri Bhagirath, Village- Panjri Taluka Narsinghgarh District Rajgarh State Madhya Pradesh (M.P.). Prior Environment Clearance for Panjri Crusher Stone Quarry, Stone Mining - 8,820 Cubic meter per year, KHASRA No. 1, Area- 1.00 Hect Vill. – Panjri, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh, (M.P.) (MIN/459005/2023) B2 Case.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ram Rasoniya online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा,(उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ramsingh Rasoniya S/o Shri Bhagirath, Village- Panjri Taluka Narsinghgarh District Rajgarh State Madhya Pradesh (M.P.). Prior Environment Clearance for Panjri Crusher Stone Quarry, Stone Mining - 8,820 Cubic meter per year, KHASRA No. 1, Area- 1.00 Hect Village – Panjri, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh, (M.P.). SIA/MP/MIN/459005/2023.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 1ए	एरिया— 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village – Panjri, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh, (M.P.)	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 926 दिनांक 05/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2. Fresh EC.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled blasting techniques, Muffle Blasting.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	● स्टोन – 8,820 घनमीटर/वर्ष.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्र०. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 खदान स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्र०. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभयारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्र0. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –पांजरा, जिला – राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 02 दिनांक 17/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing-No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– तलाब लगभग 100 मी. कच्चा रोड लगभग 20 मी. 30मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में निगरानी हेतु स्वयं का शेड है।
	पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्र0. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जावेगा।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट को सरफेस में दर्शाया गया है एवं समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 8,820 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.01 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल पांजरी में लकड़ी के फर्नीचर (बीस नग बेंच एवं डेस्क) एवं एक अलमारी	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, चिरोल, जंगल जलेबी सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	नॉन माइनिंग जोन		200
3	परिवहन मार्ग ऊँचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, पीपल, कस्टार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	समीपस्थ तालाब की चारों ओर की बंडिंग पर (ट्री गार्ड सहित)	जंगल जलेबी, चिरोल, आम, नीम, पीपल, कस्टार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

13. **Case No 8480/2021 Shri Sachin Mishra, Proprietor, M/s BATHIYA STONE MINE, R/o Gyan Colony Rewa Road Maihar District Satna (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.045 ha. (12,996 cum per annum) (Khasra No. 1135/942 & 1136/942) Village- Bathiya, Tehsil- Maihar & District- Satna (M.P.) (MIN/458987/2024) (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sachin Mishra, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव M/s Aseries Envirotek India Pvt Ltd उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Sachin Mishra, Proprietor, M/s BATHIYA STONE MINE, R/o Gyan Colony Rewa Road Maihar District Satna (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1135/942 & 1136/942 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड, भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)
स्थल	1.045 hectare.
लीज स्वीकृति	Village- Bathiya, Tehsil- Maihar & District- Satna (M.P.)
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 539 दिनांक 14/02/2020 के द्वारा स्वीकृत ।
प्रकरण की स्थिति	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	सेक की 497वीं बैठक दिनांक 05/04/21 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 940 दिनांक 24/05/21 के द्वारा पत्थर-12,996 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-12,996 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-12,996 घनमीटर/वर्ष है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2394 दिनांक 18/11/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 05.569 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मण्डला सतना के पत्र क्रमांक 9248 दिनांक 25/09/19 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च 2024

	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय न्यायालय तहसीलदार, तहसील मैहरा जिला सतना के पत्र क्रमांक 533 दिनांक 09/07/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/06/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - 01 Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— कच्चा रोड 25 मी. परियोजना प्रस्तावक ने 25 मी. सेटबैक प्रस्तावित किया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-165 के सरल क्रमांक-131 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट को सरफेस में दर्शाया गया है एवं प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 12,996 घनमीटर/वर्ष

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘B’

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.